राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	383/2019 रामकुमार / शकुन्तला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/8/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो. के विरुद्ध एक वाद दुरुस्ती रिकार्ड, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्य तथ्यों के अतिरिक्त मूलतः यह तथ्य अंकितकर प्रस्तुत किया गया कि आराजी हाल ख.न.748 रकबा 0.57 हैक्टेयर वाके मौजा फतेहपुरा कला की भूमि में वादीगण की साबिका ख.न. 686 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में से 0.28 है. भूमि आई है एवं शेष भूमि साबिका ख. न. 679,680 में आई है। वाद में आगे अंकित किया गया की आराजी हाल ख.न. 748 रकबा 0.57 हैक्टेयर में वादीगण का ½ हिस्से के खातेदार काश्तकार है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से हिस्सा 1/2 के बजाय हिस्सा 1/6 दर्ज कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व उनके बुर्जुगान के नाम 1/4 - 1/4 के बाजाय 5/6 हिस्सा दर्ज कर रखा है। उक्त राजस्व रिकार्ड की गलती की वादीगण को जानकारी पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने से हुई। जिस पर बार-बार प्रतिवादीगण को दुरुस्ती कराने हेतु कहा, पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त में स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया, जिससे वादी का वाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब वाद नही प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18/03/2019 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता द्वारा वाद में नो इंन्ट्रक्शन प्लींग करने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, शेष पक्षकारो के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी थी। वकील वादी की तरफ से वाद में साक्ष्य सबूत पेश नही कर बहस ही करने का अनुरोध किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में बहस सुनी जाकर निर्णय जैर अपील में यह अंकित करते हुये की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, मिलान क्षेत्रफल से रकबा बरारी स्पष्ट नही हो पाई साथ ही साबिका जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 में साबिका	

राजस्व अपील प्राधिकारी (मुहर) — राजस्व अपील अधिकारी, जिला जयपुर (मुहर)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
383/2020	रामकुंवार / शकुन्तला 2	

ख.न.680 एवं 686 में वादीगण का नाम दर्ज नही है एवं साबिका ख.न. 679 में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज होता है वादीगण द्वारा वाद में प्रस्तुत दस्तावेजात में से कोई भी ऐसा दस्तावेज नही पाया जिससे साबित हो की वादीगण आराजी ख.न. में ½ हिस्से पर काबिज है। प्रकरण में वादी अपने वाद में अपने समर्थन में केवल बयान शपथ पत्र पेश किया है जो वाद को सिद्ध कर पाने के लिये पर्याप्त नही है। इसके अलावा कोई रिकार्ड दस्तावेज ऐसा पेश नही किया जिससे वादी अपने वाद को साबित कर सके। ऐसी परिस्थिति में वादीगण प्रकरण में चाहे गये हिस्से का मुश्तहक़ नही है। इस प्रकार वादी का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03/06/2019 के द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील में रेस्पो. की तामिल के बावजूद उनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस अपीलार्थी सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24/07/1972 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की अपीलार्थी ने आराजी ख.न. 686 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा अन्य आराजी ख.न. 811/691 का क्रय इनके मूल खातेदार कन्हैया पुत्र औंकार जाति अहीर निवासी फतेहपूरा कला से किया एवं तब से ही अपीलार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल प्रति सम्वत 2037 से 2056 की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट रूप से अंकित है आराजी ख.न. 748 रकबा 0.57 है. का गढन पुराने ख.न. 679,680 एवं 686 से हुआ है, चूँकि 686 खसरा नम्बर का क्रय अपीलार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकृय पत्र किया गया है, इसके स्पष्ट था कि ख.न. 686 जो उनके खाते की आराजीयात है का हिस्सा ख.न. 748 कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	383/2019 रामकुंवार / शकुन्तला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5

सम्मिलित की गयी है एवं वादीगण द्वारा उसी की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजो का अवलोकन एवं विवेचन किये बगैर ही जो निर्णय जैर अपील दिनांक 03/06/2019 पारित किया गया है वह रिकार्ड के विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है। एवं अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण /वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुर कला तहसील कोटपुतली जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 748 रकबा 0.57 हैक्टेयर का वादीगण रामकुवार पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/4 , हनुमान पुत्र ईशर हिस्सा ¼, रामचद्र पुत्र लक्ष्मण के वारिसांन रेशमी, रोशनी,कमला पुत्री रामचद्र, कालू पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/4 , जगदीश पूत्र प्रहलाद के वारिसान शंकरलाल, सत्यवीर पुत्रान जगदीश, मिश्री पत्नी जगदीश हिस्सा 1/4, दर हिस्सा 24/57 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज बिरजू पुत्र हरदेव हिस्सा 1/10, धन्ना पुत्र मुकुन्दा हिस्सा 1/10, भूरा पुत्र कुशाल हिस्सा 1/5, गौरीसहाय पुत्र कुशाल हिस्सा 1/5,सन्तोष देवी पत्नी कैलाश हिस्सा 6/15 दर हिस्सा 33/57 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री के साथ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/8/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर)